आईडीबीआई लि. में देय राशियों की वसूली और प्रतिभूति का कब्जा लेने संबंधी नीति

1. परिचय

आईडीबीआई की ऋणों की वसूली नीति ग्राहकों के प्रति सम्मान और आदर पर निर्मित हैं. बैंक देय राशियों की अवांछित जबरन वसूली की नीतियों का अनुसरण नहीं करेगा. हमारी नीति विनम्रता,सद्व्यवहार और मानमनुव्वल पर निर्मित हैं. देय राशियों की वसूली और प्रतिभूतियों का कब्जा लेने के संबंध में बैंक सद्व्यवहार में विश्वास रखता है और ग्राहकों का भरोसा हासिल करके उनके साथ दीर्घावधि संबंधों में विश्वास करता हैं.

बैंक मंजूर ऋण की चुकौती अनुसूची उधारकर्ता की भुगतान क्षमता और नकदी प्रवाह स्वरूप को ध्यान में रखकर निर्धारित करेगा. बैंक ब्याज की गणना की विधि को प्रारंभ में ही ग्राहक को समझा देगा और उसे यह भी बताएगा कि कि ग्राहक से देय ब्याज और मूल रकम के प्रति किस तरह समान मासिक किस्त अथवा अन्य किसी विधि से ऋण की चुकौती के अन्य किसी तरीके से भुगतान समायोजित किए जाएंगे.

बैंक की प्रतिभूति का कब्जा लेने की नीति का उद्देश्य चुकौती में चूक होने की स्थिति में देय राशियो की वसूली करना है और इसका लक्ष्य मनमाने ढंग से संपत्ति से वंचित करना नहीं है. कब्जा लेने की नीति में प्रतिभूति का कब्जा लेने , मूल्यांकन और वसूली में ईमानदारी और पारदर्शिता को महत्व दिया गया है. बैंक द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई, देयताओं की वसूली व प्रतिभूति का कब्जा लेने में अपनायी जाने वाली सभी पद्धतियां कानून के अनुरूप होंगीं.

2. सामान्य दिशा-निर्देश

वसूली अथवा/ और प्रतिभूति के कब्जे के लिए सभी स्टाफ सदस्य अथवा अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो हमारे बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं ; निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे.

1. ग्राहक से सामान्यतः उसके पसंद के स्थान पर संपर्क किया जाएगा और यदि स्थान निर्धारित नहीं है तो उसके आवास पर, यदि वह अपने आवास पर भी उपलब्ध नहीं है तो उसके कारोबार/व्यवसाय स्थल पर संपर्क किया जाएगा.
2. उधारकर्ता को पहली बार में अनुवर्ती कार्रवाई, देयताओं की वसूली के लिए बैंक

का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की पहचान और प्राधिकार की जानकारी दे दी जाएगी. देयताओं की वसूली अथवा/ और प्रतिभूति का कब्जा लेने के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति स्वयं का परिचय देगा और अनुरोध करने पर बैंक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र दिखायेगा.

3. बैंक अपने उधारकर्ताओं की प्राइवेसी का सम्मान करेगा.
4. बैंक अपने उधारकर्ताओं के साथ सरल कारोबारी भाषा में लिखित और मौखिक संवाद करना सुनिश्चित करेगा और उधारकर्ताओं के साथ संपर्क करने के लिए शिष्ट तरीके अपनायेगा.
5. जब तक उधारकर्ता के कारोबार अथवा व्यवसाय की अपेक्षा अनुसार बैंक को उससे अलग समय पर संपर्क करना पड़े, सामान्यतः बैंक का प्रतिनिधि उधारकर्ता से 0700 से 1900 बजे के बीच संपर्क करेगा, केवल उनके कारोबार अथवा व्यवसाय की उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जहां बैंक को उनसे अलग समय पर संपर्क करना पड़े.
6. उधारकर्ता के यह कहने पर कि एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उसे फोन न किया जाए - जहाँ तक संभव हो, बैंक उसके अनुरोध का सम्मान करेगा.
7. बैंक देय राशियों की वसूली के संबंध में की गई कार्रवाई के दस्तावेज तैयार करेगा और उधारकर्ताओं को भेजे गए पत्रों , यदि कोई हों, की प्रतियाँ रिकॉर्ड में रखेगा.
8. परस्पर स्वीकार्य और सुव्यवस्थित तरीके से देय राशियों के संबंध में विवाद अथवा मतभेद को दूर करने के लिए सभी सहायता दी जाएगी.
9. अनुपयुक्त अवसर जैसे परिवार में किसी की मृत्यु होने पर अथवा अन्य आपदाओं के अवसरों पर देय राशियों की वसूली के लिए फोन करने/मिलने से बचा जाएगा.

3. उधारकर्ता को नोटिस देना

बैंक द्वारा जहां ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के उपाय के रूप में लिखित पत्राचार, टेलीफोन पर अनुस्मारक अथवा बैंक के प्रतिनिधि द्वारा उधारकर्ता के कार्य स्थल अथवा आवास पर जाने के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा; बैंक कोई भी कानूनी कार्रवाई अथवा प्रतिभूति का कब्जा लेने सहित अन्य वसूली उपाय, 7 दिन का लिखित नोटिस दिए बिना शुरू नहीं करेगा. बैंक ऐसी सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो वसूली/प्रतिभूति के कब्जे के लिए विधि के अनुसार अपेक्षित हो.

4. प्रतिभूति का पुनः कब्जा

प्रतिभूति का कब्जा लेने का उद्देश्य देय राशियों की वसूली करना है न कि उधारकर्ता को संपत्ति से वंचित करना. प्रतिभूति का कब्जा लेने के ज़रिए अपनाई जानेवाली वसूली प्रक्रिया में उपयुक्त तरीकों से प्रतिभूति का कब्जा लेना, प्रतिभूति का मूल्यांकन और प्रतिभूतियों की वसूली शामिल होगी. यह सभी न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार नोटिस जारी करने के बाद कब्जा लिया जाएगा. संपत्ति का कब्जा लेते समय उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा. सामान्य कारोबार के दौरान बैंक कब्जा लेने के बाद संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सर्तकता अपनाएगा.

5. संपत्ति का मूल्यांकन और बिक्री

बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति का मूल्यांकन और बिक्री विधि के अनुसार न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से की जाएगी. बैंक को संपत्ति की बिक्री के बाद देय राशि, यदि कोई हो , उधारकर्ता से वसूल करने का अधिकार होगा. संपत्ति की बिक्री के बाद अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, उधारकर्ता को सभी खर्चों को पूरा करने के बाद लौटायी जाएगी बशर्ते बैंक का ग्राहक के विरुद्ध कोई और दावा लम्बित न हो.

6. उधारकर्ता को प्रतिभूति वापस लेने का अवसर

नीति दस्तावेज में जैसे पहले उल्लेख किया गया है कि बैंक अंतिम उपाय के रूप में अपनी देय राशियों की वसूली के लिए प्रतिभूति का कब्जा लेगा, न कि उधारकर्ता को संपत्ति से वंचित करने के लिए. तद्नुसार बैंक कब्जा लेने के बाद और संपत्ति के बिक्री लेन-देन पूरा होने से पहले किसी भी समय उधारकर्ता को संपत्ति का कब्जा देने पर विचार करने के लिए तैयार रहेगा, बशर्ते बैंक की समस्त देय राशियों का भुगतान कर दिया जाए, यदि बैंक उधारकर्ता की चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण की किस्तों का भुगतान कर पाने में असमर्थता से संतुष्ट है, जिसके कारण प्रतिभूति का कब्जा लेना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में बैंक बकाया किस्तों के प्राप्त हो जाने पर संपत्ति को लौटाने पर विचार कर सकता है. तथापि यह इस बात पर निर्भर होगा कि भविष्य में शेष किस्तों को समय पर चुकाने हेतु उधारकर्ता द्वारा की गयी व्यवस्था से बैंक संतुष्ट हो.

****